सरकार बनाम काल्या उर्फ राजेन्द्र वगैरा
सेशन प्रकरण संख्या :– 46/2019

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
06-04-26	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण काल्या उर्फ राजेन्द्र, संजू उर्फ संदीप तथा बीनू मय अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्तगण 01. काल्या उर्फ राजेन्द्र उम्र 25 वर्ष पुत्र गोबरीलाल, 02. संजू उर्फ संदीप उम्र 22 वर्ष पुत्र गोबरीलाल, 03. बीनू पुत्र गोबरीलाल उम्र 20 वर्ष निवासीगण किशनाईपुरा थाना किशनगंज जिला बारां (राज0) को धारा 504, 308 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के आधार पर उक्त अपराध के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। जबकि उक्त अभियुक्तगण काल्या उर्फ राजेन्द्र, संजू उर्फ संदीप व बीनू को धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में दोषसिद्ध नही किये जाने तथा परिवीक्षा अधिनियम का कोई लाभ प्राप्त नही करने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया, शामिल पत्रावली हो। अभियुक्तगण 01. काल्या उर्फ राजेन्द्र उम्र 25 वर्ष पुत्र गोबरीलाल, 02. संजू उर्फ संदीप उम्र 22 वर्ष पुत्र गोबरीलाल, 03. बीनू पुत्र गोबरीलाल उम्र 20 वर्ष निवासीगण किशनाईपुरा थाना किशनगंज जिला बारां (राज0) को धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर उन्हें तुरंत कारावास के दण्डादेश से दंडित नहीं करते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ इस शर्त के आधार पर प्रदान किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिये शांति व सदाचार बनाये रखेगें, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगें, न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिये तलब करने पर न्यायालय में स्वतः उपस्थित होगें, यदि इन शर्तो के अधीन प्रत्येक अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिये 10 हजार रूपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र इस न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा ले तो उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत बतौर अभियोजन व्यय प्रत्येक अभियुक्त 500/–रूपये (अक्षरे– पांच सौ रूपये) कुल 1500/–रूपये (अक्षरे पन्द्रह सौ रूपये) न्यायालय में जमा करावे जो राशि जमा राजकोष हो। प्रकरण में फर्द जप्ती अनुसार जप्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील, अपील ना होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट किया जावे। अभियुक्तगण धारा 437–ए दं0 प्र0 सं0 के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में 06 माह की अवधि में उपस्थित होने हेतु 10,000/–रू0 के जमानत मुचलके पेश करे। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण की ओर धारा 437–ए दं0 प्र0 सं0 के तहत जमानत मुचलके पूर्व में पेश किये जा चुके हैं। निर्णय की पालना में अभियुक्तगण की ओर से परिशान्ति व सदाचार बाबत जमानत मुचलके पेश किये जो बाद जांच तस्दीक किये गये तथा अभियोजन व्यय राशि प्रत्येक पांच–पांच सौ रूपये कुल एक हजार पांच सौ रूपये जरिये ऑनलाईन चालान बैंक जी.आर.एन नम्बर 121470107 दिनांक 06.04.2026 से जमा कराये गये। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रमोद कुमार शर्मा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रथम बारां (राज.)	राजेन्द्र संदीप बीनू

Scanned with OKEN Scanner